Hindi

(10)

सं. 6/7/2003-स्था.(वेतन-II)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी, 2008.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अधीन संवर्ग बाह्य पदों तथा केन्द्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के लिए विदेशी सेवा के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति ।

इस विभाग के दिनांक 5 जनवरी, 1994 के का.ज्ञापन सं. 2/29/91-स्था.(वेतन.II) का हवाला दिया जाता है जिसमें केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अधीन संवर्ग बाह्य पदों तथा केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के लिए विदेशी सेवा के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में दिशा-निर्देश किए गए हैं ।

2. इस कार्यालय ज्ञापन के पैरा 8.4 में निर्धारित किया गया है कि ऐसे मामलों में जहाँ विस्तार पाँचवें वर्ष से आगे के लिए हो या भर्ती नियमों में निर्धारित अवधि से दूसरे वर्ष के अतिरेक में हो, तो उसकी अनुमति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का अनुमोदन लेने के बाद ही दी जा सकती है चाहे केन्द्र सरकार देने वाला संगठन हो या आदाता संगठन हो ।

3. अब समूह 'ग' एवं 'घ' के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि पाँचवे वर्ष से आगे बढ़ाने का संवर्ग बाह्य पदों के लिए भर्ती नियम में निर्धारित अवधि के अतिरेक में दूसरे वर्ष हेतु बढ़ाने के लिए आदाता प्राधिकरणों/प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को अधिकार देने का निर्णय लिया गया है । ऐसे मामलों में चौथे वर्ष के लिए या भर्ती नियमों में सामान्य निर्धारित अवधि के अतिरेक में पहले वर्ष के लिए आदाता प्राधिकरण/प्रशासनिक विभाग का सचिव तथा उसके बाद प्रभारी मंत्री प्रतिनियुक्ति की अवधि को बढ़ाने के लिए अनुमोदन देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा । तथापि, विस्तार पर विचार करते समय इस विभाग के दिनांक 5 जनवरी, 1994 के समय-समय पर यथासंशोधित कार्यालय ज्ञापन में दी गई अन्य शर्तों को ध्यान में रखा जा सकता है तथा निम्नलिखित की विशेष रूप से जाँच की जा सकती है:-

(i) क्या विस्तार प्रदान करने के लिए प्रक्रिया का पालन किया गया है अर्थात क्या व्यक्ति की सहमति तथा दाता विभाग की सहमति ली गई है ।

.... 2/- ...

(ii) क्या अधिकारी को प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान एन.बी.आर. के अन्तर्गत प्रो-फार्मा पदोन्नति दी गई है ।

(iii) यदि मूल संवर्ग/पद का वेतनमान प्रोफार्मा पदोन्नति के बाद उच्चतर हो गया है तो क्या वेतन का विनियमन दिनांक 20 जून, 2007 के साथ पठित दिनांक 5.1.94 के कार्यालय ज्ञापन की शर्तों के अनुसार किया गया है ।

(iv) क्या प्रतिनियुक्ति पर शुरूआती नियुक्ति अपने आप में उच्चतर वेतनमान से निम्नतर वेतनमान में (जो दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वीकार्य नहीं है) थी तथा यदि हाँ तो क्या ऐसी नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति ले ली गई थी ।

(v) प्रतिनियुक्ति पर अधिक समय तक बने रहने के मामलों में क्या मामलों की जाँच कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 नवम्बर, 2006 के कार्यालय ज्ञापन सं.-ए.बी.-4017:302006-स्था(आर.आर.) में दिए गए प्रावधानों की शर्तों के अनुसार की जाएगी ।

यदि कोई शर्त पूरी नहीं की जाती है तो प्रस्ताव को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को विचार के लिए भेजा जा सकता है ।

4. ये आदेश जारी होने की तिथि से लागू होंगे । जहाँ तक भारतीय लेखा-परीक्षा एवं विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग से बाहर प्रतिनियुक्ति के लिए लागू होंगे । भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग के भीतर प्रतिनियुक्ति का विनियमन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार किया जाएगा ।

रीता माथुर

(रीता माथुर)
निदेशक (वेतन)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।